

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग,  
बिहार, पटना।

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 19/12/16 -

विषय:- फसल बीमा योजना लागू हो जाने के फलस्वरूप कृषि इनपुट अनुदान के अन्तर्गत दी जाने वाली साहाय्य राशि के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक-05.10.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में राज्य में फसल बीमा योजना लागू हो जाने के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों हेतु दिये जाने वाले कृषि इनपुट अनुदान के अन्तर्गत दी जाने वाली साहाय्य राशि के संबंध में विचार-विमर्श किया गया एवं राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि फसल बीमा योजना से आच्छादित कृषकों/भूमि को कृषि इनपुट अनुदान नहीं दिया जाय।

अतएव अनुरोध है कि राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के आलोक में अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(प्रत्यय अमृत)

प्रधान सचिव